न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, केम्प भोपाल
समक्ष अध्यक्ष महोदय

प्रकरण क्र. 140 अ/14-15

अजय सिंह ....आवेदक

बनाम

ऋषि नार्ज ....अनावेदक

आवेदन पत्र धारा 32 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत

आवेदक की ओर से निम्न निवेदन हैः-

1. यह कि आवेदक के द्वारा प्रकरण अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि दिनांक 21.7.2016 को सुनवाई वास्ते उत्तरवादी के आवेदन पत्र के आधार पर रखी गई थीं।
2. यह कि उक्त दिनांक को आवेदक नोटिस में दर्शाये समय पर न्यायालय अपर आयुक्त महोदय हाशेंगाबाद में उपस्थित हुआ किन्तु 12:00 बजे तक पीठासीन अधिकारी महोदय नहीं आये थे।
3. यह कि आवेदक 12:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक न्यायालय में उपस्थित रहा परन्तु प्रकरण में कोई पुकार नहीं हुई। 2:00 बजे आवेदक अपने अधिवक्ता के साथ तर्क करने गया तब न्यायालय के कर्मचारी के द्वारा बताया गया कि फाईल जा चुकी है और सामने वाली पार्टी सर्किट हाउस गई है।
4. यह कि प्रकरण तर्क हेतु नियत था, किन्तु माननीय पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा तर्क प्रस्तुत करने का अवसर (सुनवाई का अवसर) दिये बगैर फाईल को अपने साथ ले जाना एवं विरोधी पक्षकार का सर्किट हाउस जाकर उनका मिलना आवेदक के

Resto 9046-PB02/16

24.1.2017

आदेश

प्रस्तुतकार

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। यह प्रकरण अपर आयुक्त से प्रकरण अंतरण करने सम्बन्धी है। आवेदक की ओर से उपस्थित होकर प्रकरण अंतरण का कारण नहीं दर्शाया गया है, और न ही संहिता की 32 के अन्तर्गत प्रकरण अंतरित किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रकरण अग्राह्य किया जाता है।

अध्यक्ष